



साहिबगंज नगर परिषद्,
"स्वच्छ भारत अभियान" (शाखा)
आम सूचना

पत्रांक- 136

दिनांक- 19/01/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 333 एवं 334 के तहत बाहर खुले में शौच करना तथा कूड़ा-कचरा / गंदगी फैलाने आदि पर निम्नलिखित रूप से जुर्माना वसूला जायेगा :-

- धारा-333 .सड़क से या नजदीक से घृणोत्पादक पदार्थों के न हटाये जाने पर दण्ड के भागी होंगे।
- धारा- 334 . गली या नाली में मल-जल, घृणोत्पादक पदार्थ या कूड़ा-कर कट फेंकने या बहाने के लिए दण्ड (5000 /-रु0 तक)
- बाहर खुले में शौच करते हुए पकड़े जाने पर तथा कूड़ा-कचरा / गंदगी फैलाने आदि पर जुर्माना का प्रावधान है, पहली बार पकड़े जाने पर हिदायत के साथ 50 /- (पचास) रु0 का जुर्माना। दूसरी या इससे अधिक बार पकड़े जाने पर 100 /- से 5000 /रु0 तक का जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई।
- अपने शहर को साफ-सुथरा रखने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, साहिबगंज।

ज्ञापांक- 136 / साहिबगंज, दिनांक- 19/01/2017

प्रतिलिपि- निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / उपायुक्त, साहेबगंज / अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / माननीय सभी वार्ड पार्षद, साहिबगंज नगर परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, साहिबगंज।
Executive Officer
Sahibganj Municipal Corporation
Sahibganj